Share Department, Finance Division, HO Plot No.4 Sector 10, Dwarka, New Delhi-110075
Tel Nos : 011-28044866 E-mail : hosd@pnb.co.in

Script Code : PNB	Script Code : 532461
The Asstt. Vice President National Stock Exchange of India Limited "Exchange Plaza", Bandra – Kurla Complex, Bandra (E), **Mumbai – 400 051**	The Dy. General Manager Bombay Stock Exchange Limited 1st Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, **Mumbai – 400 001**

Date: 08 August 2018

Dear Sir

Reg: Annual General Meeting (AGM) of the Bank to be held on 18.09.2018 – Publication of Notice

The Exchange is hereby informed that a Notice has been published in 'Business Standard' (Hindi and English edition) today i.e. on 08.08.2018 for holding Annual General Meeting of the shareholders of the Bank on Tuesday, the 18th September 2018 at 10 AM.

Thanking you

Yours faithfully,

(Balbir Singh)
Company Secretary

Enc. copy of Notices published in Newspaper.

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can BANK upon!

प्रधान कार्यालय, प्लाट न. 4,स्केटर –10, द्वारका, नई दिल्ली –110075 (ई–मेल: hosd@pnb.co.in)

सूचना

पंजाब नैशनल बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 2000 के विनियम 56 के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि पंजाब नैशनल बैंक के शेयरधारकों की 17वीं वार्षिक आम बैठक मंगलवार,18 सितम्बर, 2018 को प्रात : 10.00 बजे पंजाब नैशनल बैंक के प्रधान कार्यालय प्लाट–4, सेक्टर–10 द्वारका, नई दिल्ली –110075 में आयोजित की जाएगी जिसमें निम्न कार्य किये जायेंगे :

1. 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के लेखापरीक्षित तुलन पत्र और लाभ–हानि लेखा तथा 31 मार्च, 2018 की लेखा अवधि के लिए बैंक की कार्यप्रणाली एव गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलन–पत्र एवं लेखों पर लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा करना, स्वीकार करना एवं अनुमोदन करना।
2. **बैंक में एक शेयरहोल्डर डायरेक्टर का चुनाव**

   निम्नलिखित संकल्प पारित करके बैंक के शेयरधारकों में से केन्द्र सरकार को छोड़कर ऐसे एक निदेशक को चुनना जिनके संबंध में बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के साथ पठित बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(i) के अनुसार वैध नामांकन प्राप्त हुए हों, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 और पंजाब नैशनल बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमन 2000 एवं भारतीय रिजर्व बैंक की 01.11.2007 की अधिसूचना संख्या डीबीओडी सं. बीसीसं. 46 व 47 / 29.39. 001 / 2007–08 एवं 23.05.2011 की अधिसूचना संख्या डीबीओडी बीसी सं. 95 / 29.39.001 / 2010–11 को दिनांक 24 नवम्बर 2016 DBR-APPT-BC-NO-39/29.39.001/2016 &17 तथा भारत सरकार द्वारा अग्रेषित दिनांक 28 अप्रैल 2015 एवं 20 जुलाई 2016 के पत्रों एवं 25.03.2015 के दिशा–निर्देश संख्या F.NO. 16/51/2012&BOI को कार्यालय ज्ञापन दिनांक 3 सितम्बर 2013 के साथ पढ़ा जाय।
3. **इएसपीएस(कर्मचारी शेयर खरीद योजना) आधार पर कर्मचारियों को इक्विटी शेयर जारी करना**

   कर्मचारी शेयर खरीद योजना (इसके बाद "पीएनबी–ईएसपीएस" के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत एक या अधिक बार में, ऐसे मूल्य अथवा मूल्यों पर तथा ऐसे नियम एवं शर्तो के अधीन जो बोर्ड / समिति द्वारा निर्धारित किए जायेंगे, मूल्य रु. 2 / – (केवल दो रुपये) के प्रत्येक अंकित मूल्य के 10,00,00,000 (दस करोड़) तक नए इक्विटीशेयरों के प्रस्ताव, निर्गम एवं आवंटन को अनुमोदित करना, जो डिविडेंड भुगतान सहित सभी प्रयोजनों के लिए और सर्वथा बैंक के मौजूद इक्विटी शेयरों की पारी पासू, श्रेणी में होंगे।
4. **भारत सरकार को अधिमानी आधार पर इक्विटी शेयर जारी करना।**

   सेबी (आईसीडीआर) विनियमों के विनियमन 76 (1) के संदर्भ में प्रासंगिक तिथि पर निर्धारित किए जाने वाले मूल्य पर वरीयता आधार पर भारत सरकार को रु 2816 करोड़ (केवल दो हजार आठ सौ सोलह करोड़ रुपये) तक के रुपये 2 / – प्रत्येक के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर की ऐसी संख्या के निर्गम एवं आवंटन का अनुमोदन करने के लिए ।

निदेशक मंडल के आदेश से
पंजाब नेशनल बैंक के लिए

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 06.08.2018

(पी के शर्मा)
मुख्य वित्त अधिकारी

टिप्पणियाँ

1. बैंक ने एजीएम नोटिस भेजने के साथ–साथ शेयरधारक निदेशक का चुनाव लड़ने हेतु शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने के लिए मंगलवार 14 अगस्त 2018 को कट ऑफ डेट–1 के रूप में तय किया है।
2. शेयरधारकों का रजिस्टर शेयरधारकों द्वारा निरीक्षण के लिए बैंक के प्रधान कार्यालय में कंपनी सचिव, पंजाब वित्त प्रभाग, शेयर विभाग, प्रधान कार्यालय प्रथम तल, पूर्व विंग, प्लाट न.–4, सेक्टर –10, द्वारका नई दिल्ली –110075 के पास सोमवार 20 अगस्त 2018 से सोमवार 3 सितम्बर 2018 तक सभी कार्यदिवसों में दोपहर 3.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक उपलब्ध रहेगा। अगर कोई शेयरधारक को प्रति या कम्प्यूटर प्रिंट या किसी भाग का प्रिंट चाहता है उन्हें 5 / – रूपये प्रति हजार शब्द या उसके अंश की दर से पूर्व भुगतान करने पर प्रदान की जायेगी। शेयरधारक निदेशक के चुनाव हेतु नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 03.09.2018 है ।
3. 17वीं वार्षिक आम बैठक में नोटिस की इलेक्ट्रानिक प्रति जिसमे ई–वोटिंग की प्रणाली और व्यवहार अनुबंध, उपस्थिति पर्ची और प्रावसी फार्म पत्राचार आदि उद्देश्य के लिए सभी शेयरधारकों, जिनकी ई–मेल आईडी एसटीए / डिपाझटरी सहभागी के साथ पंजीकृत है, को भेजी जा रही है । शेयरधारकों जिनके ई–मेल पंजीकृत नही है उन्हें 17 वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना भौतिक रूप से भेजी जाएगी जिसमे ई–वोटिंग की प्रणाली और व्यवहार अनुबंध, उपस्थिति पर्ची और प्राक्सी फार्म पत्राचार, घोषणा अनुबंध दर्शाया गया है । कार्यदिवसो पर सामान्य कारोबार समय के दौरान निरीक्षण के लिए उपर्युक्त दस्तावेजो की भौतिक प्रति शेयर विभाग, वित्त प्रभाग सेक्टर–10, द्वारका, नई दिल्ली –110075 पर उपलब्ध रहेगी। शेयरधारक यह भी नोट करे की 17 वीं एजीएम / वार्षिक रिपोर्ट 2017–18 के नोटिस बैंक की वेबसाईट www.pnbindia.in (निवेशक सूचना पृष्ठ) पर भी डाउनलोडिंग के लिए उपलब्ध रहेगा।
4. इसके अलावा ई–कम्युनिकेशन, शेयरधारको के लिए पंजीकरण भौतिक रूप में ऐसी सूचना प्राप्त करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट डाक द्वारा विशेष अनुरोध करने पर प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। शेयरधारक अपने अनुरोध को बैंक की ई–मेल आईडी hosd@pnb.co.in पर भी भेज सकते हैं।
5. ई वोटिंग के माध्यम से मतदान की प्रक्रिया – सेबी विनियम 44, स्टाक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण करार के अनुसरण में और कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियमावली 2014 यथासंशोधित के नियम 20 के प्रावधानों की अनुपालना में बैंक शेयरधारकों को आगामी एजीएम में विचारणीय सकल्पों पर इलेक्ट्रानिक माध्यमों द्वारा मतदान करने की सुविधा दे रहा है और यह कार्यनिष्पादन सैंट्रल डिपाजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. द्वारा उपलब्ध कराए गए ई–वोटिंग प्लेटफार्म के माध्यम से किया जा रहा है। सदस्य अपना वोट इलेक्ट्रानिक वोटिंग सिस्टम का प्रयोग करके बैठक स्थल के अलावा अन्य स्थान से भी कर सकते हैं। (रिमोट ई–वोटिंग)। इलेक्ट्रानिक माध्यम से वोट करने एवं सामान्य मीटिंग में वोट करने की कट ऑफ डेट–2 दिनांक मंगलवार, 11 सितम्बर 2018 है।
6. बैठक में उपस्थित होने और वोट देने के पात्र शेयरधारक अपने बदले किसी प्रॉक्सी की बैठक में उपस्थित होने और वोट देने के लिए नियुक्त करने का भी पात्र है तथा उस प्रॉक्सी के लिए बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है । प्रोक्सी फार्म / प्राधिकृत प्रतिनिधि पत्र प्रभावी करने के लिए उसे कम्पनी सचिव, शेयर विभाग, वित्त प्रभाग, प्रधान कार्यालय, प्लाट संख्या 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली – 110075 में बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पहले अर्थात गुरुवार, 13 सितम्बर 2018 को सांय 5.00 बजे से पहले अवश्य जमा करा दी जाए। इस तरह से नियुक्त प्राक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा किंतु वह अनुदाता की ओर से बैठक में भाग ले सकता है एवं वोट दे सकता है। बैंक के किसी अधिकारी या कर्मचारी को प्राक्सी नियुक्त नहीं किया जा सकता ।
7. कोई भी ऐसा व्यक्ति, किसी निगमित निकाय कें विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में, तब तक बैंक की बैठक में उपस्थित होने या मत देने का पात्र नहीं होगा, जब तक उस बैठक, जिसमे यह संकल्प पारित किया गया है, के अध्यक्ष द्वारा विधिवत् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उसे नियुक्त करने वाले संकल्प की मूल प्रति वित्त प्रभाग, शेयर विभाग, प्रधान कार्यालय, प्लाट संख्या 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली – 110075 में, बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पहले अर्थात गुरूवार, 13 सितम्बर 2018 की समाप्ति अर्थात सांय 5.00 बजे से पहले अवश्य जमा करा दी जाए। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बैंक का कर्मचारी या अधिकारी है, प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता ।
8. बैंक के शेयरधारको का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण पुस्तके 13.09.2018 से 18.09.2018 तक (दोनों दिन शामिल) बंद रहेंगी।
9. बैंकिंग कंपनियों (उपक्रम का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 (यथा संशोधित) की धारा 3 की उपधारा (2ई) के अनुसार केन्द्रीय सरकार के अलावा बैंक का कोई भी शेयरधारक अपने पास धारित शेयरों के संबंध में बैंक के कुल शेयरधारकों के 10% से अधिक के अपने शेयरों के वोटिंग अधिकार का उपयोग नहीं कर सकता / सकती है । यदि कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नाम है, तो रजिस्टर में दर्ज पहला नामित व्यक्ति, मतदान के संबंध में, उसका एकमात्र धारक माना जाएगा।

Business Standard dt. 8/8/2018

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can BANK upon!

Head Office : Plot No.4, Sector-10, Dwarka, New Delhi – 110 075 (Email hosd@pnb.co.in)

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT PURSUANT TO REGULATION 56 OF PUNJAB NATIONAL BANK (SHARES & MEETINGS) REGULATIONS, 2000, 17TH ANNUAL GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF PUNJAB NATIONAL BANK WILL BE HELD ON TUESDAY, THE 18th SEPTEMBER 2018, AT 10.00 A.M. AT PUNJAB NATIONAL BANK, HEAD OFFICE, PLOT NO.4, SECTOR 10, DWARKA, NEW DELHI – 110075 TO TRANSACT THE FOLLOWING BUSINESS:

1. To consider and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2018, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2018, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditor's Report on the Financial Statements.
2. **Election of one Shareholder Director of the Bank**
   To elect ONE Director from amongst the shareholders of the Bank, other than the Central Government, in terms of Section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with the Banking Regulation Act, 1949, The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and the Punjab National Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 and RBI Notifications No. DBOD.No.BC.No.46 & 47/ 29.39.001/ 2007-08 dated 01.11.2007 and DBOD.No. BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 read with No. DBR.Appt.BC.No.39/29.39.001/ 2016-17 dated 24th November 2016 and Government of India guidelines No.F.No.16/51/2012-B.O.I. dated 25.03.2015 forwarded by GOI letter dated 28th April 2015 and dated 20th July 2016 read with OM dated 3rd September 2013.
3. **Issue of Equity Shares to Employees on ESPS basis (Employee Stock Purchase Scheme)**
   To approve offer, issue and allotment upto 10,00,00,000 (Ten Crore) new equity shares of face value of Rs.2/- (Rupees Two only) each, ranking pari passu with the existing equity share of the bank for all purpose and in all respects, including payment of dividend, under an Employee Stock Purchase Scheme (hereinafter referred to as "PNB-ESPS") in one or more tranches, at such price or prices, and on such terms and conditions as may be decided by the Board/Committee.
4. **Issue of Equity Shares on preferential basis to Govt. of India.**
   For approving issuance and allotment of such number of equity shares of face value of Rs.2/- each to Govt. of India on preferential basis at a price to be determined as on the "Relevant Date", in terms of Regulation 76(1) of SEBI (ICDR) Regulations upto ₹ 2816 crores (Rupees Two Thousand Eight Hundred Sixteen crores only).

By order of the Board of Directors
For Punjab National Bank

Place: New Delhi
Date: 06.08.2018

(P K Sharma)
Chief Finance Officer

NOTES:

1. The Bank has fixed Tuesday, the 14th August 2018 as the Cut-off Date-1 for sending of AGM notices as well as for deciding the eligibility of shareholder to contest election for shareholder director.
2. A copy of the Register of Shareholders will be open for inspection with the Company Secretary, Finance Division, Share Department, Head Office, 1st Floor, East Wing, Plot No.4, Sector-10, Dwarka, New Delhi - 110 075, from Monday, the 20th August 2018 to Monday, the 3rd September 2018, on all working days between 3.00 p.m. & 5.00 p.m. on weekdays (other than Bank Holiday). If any shareholder requires a copy or computer prints or any part thereof, the same shall be supplied to him on pre-payment at the rate of ₹5/- for every 1000 words or fractional part thereof required to be copied. The last date of receiving nominations for election of share holder director is 03.09.2018.
3. Electronic copy of the Annual Report along with Notice of the 17th Annual General Meeting (AGM), inter alia, including the process and manner of e-voting, Nomination form, Declaration, Annexure, Attendance Slips and Proxy Forms is being sent to all the shareholders whose email IDs are registered with the STA/Depository Participant(s) for communication purpose. For members who have not registered their email address, physical copies of the Notice of the 17th AGM of the Bank, inter alia, indicating the process and manner of e-voting along with Attendance Slip and Proxy Forms is being sent in permitted mode. The physical copies of aforesaid documents will also be available at the Bank's Head Office at Share Department, Finance Division, Sector-10, Dwarka, New Delhi – 110075 for inspection during normal business hours on working days. The same will also be available for downloading from the website of the Bank viz. www.pnbindia.in (Invester info page).
4. Even after registering for e-communication, members are entitled to receive such communication in physical form, upon making a specific request, by post free of cost. The shareholders may also send their requests to the Bank's e-mail ID – hosd@pnb.co.in.
5. **VOTING THROUGH ELECTRONIC MEANS** - In compliance with provisions of Regulation 44 of the SEBI read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended thereto, the Bank is providing the shareholders facility of remote e-voting through e-voting platform provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL) and voting at general meeting. The Cut-off Date2 for determining the eligibility of shareholders to exercise remote e-voting and voting at general meeting is Tuesday, the 11th September 2018.
6. **A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE ANNUAL GENERAL MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.** The Proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting. No person shall be appointed as a Proxy who is an officer or an employee of Punjab National Bank. The grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting. The instrument of proxy in order to be effective, must be received by **Company Secretary, Punjab National Bank, Finance Division, Share Department, Head Office, East Wing, 1st Floor, Sector – 10, Dwarka, New Delhi – 110075, not less than four days before the date of meeting i.e. Thursday, the 13th September 2018 by 5.00 pm.**
7. No person shall be entitled to attend or vote at any meeting as duly authorized representative of a body corporate, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the **Finance Division, Share Department, Head Office, East Wing, 1st Floor, Sector – 10, Dwarka, New Delhi – 110075,** not less than four days before the date of meeting i.e. Thursday, the 13th September 2018 by 5.00 pm. No person shall be appointed as an authorized representative, who is an officer or an employee of Punjab National Bank.
8. The Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from 12.09.2018 to 18.09.2018 (both dates inclusive).
9. In terms of provisions of Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (as amended) no shareholder of the Bank other than Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of the shares held by him in excess of 10% of the total voting rights of all the shareholders of the Bank. If any shares stands in the name of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof.

Business Standard dated 8/8/2018